I/56657/2023

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
**GOVERNMENT OF INDIA**
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,चंडीगढ़ /**Integrated Regional Office, Chandigarh**

**F.No.-:9-HRB-116/2023-CHA** LiFE Lifestyle for Environment **दिनांक: Nov, 2023**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ-160001(fcforest@hry.nic.in)

**विषय:-Diversion of 0.0634 ha. of Forest land for Access to proposed petrol pump of HPCL on Kurukshetra-Kaithal Road (MDR-119), at Km. 29.I3I (LHS),village Sohlu Majra, bearing khasra no.-46//5/2/1/1, 6/1/1/1, and 6/2/1, under Forest Division & District Kaithal, Haryana. (Online Proposal No.FP/HR/Approach/154308/2022) -regarding.**

**Ref:** (i) State Government online proposal 1534-व-3-2023/3268 dated:23.05.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भाकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.0634** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए **सैद्धांतिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

**(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-**

**i.** प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए|

**ii.** प्रयोक्ता एजेंसी से ACA स्कीम के अनुसार अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए|

**iii.** WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, **0.0634** हेक्टेयर की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।

**iv.** प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।

**v.** पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal **(**https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी ।

**vi.** प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है | अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा |

**vii.** FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा |



बेज नं.24-25, सेक्टर-31 ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo :**0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

**(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-**

**i.** वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

**ii.** काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांया जाएगा| वृक्षों/पौधों की कटाई राज्य वन विभाग की कड़ी निगरानी में की जाएगी और वृक्षों/पौधों के पातन में हुए खर्च की राशि, प्रयोक्ता एजेंसी, राज्य वन विभाग को जमा करवाएंगे |

**iii.** राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार degraded वन भूमि **RF Siwan C-4, in District-Kaithal** में **127** पौधे लगाकर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा | यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |

**iv.** राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एसीए योजना के अनुसार degraded वन भूमि **RF Siwan C-4, in District-Kaithal** में **12** पौधे लगाकर लगाकर एसीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा | यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |

**v.** राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी|

**vi.** वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।

**vii.** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

**viii.** इस प्रस्ताव को **15** वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी | इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी |

**ix.** पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।

**x.** प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पंहुच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जायेगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जायेगा |

**xi.** साथ लगते वन और वनभूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वनभूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे |

**xii.** स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वनभूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

**xiii.** केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

**xiv.** कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

**xv.** अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है |



बेज नं.**24-25**, सेक्टर-**31** ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo :**0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in

I/56657/2023**xvi.** यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

**xvii.** इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

**xviii.** यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेशआदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा|**केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नही किया जायेगा |**

***यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है|***

Signed by
Raja Ram Singh
Date: 01-11-2023 06:52:53

**भवदीय,**
**Sd/-**
**(राजा राम सिंह)**
**उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)**
**(IRO-CHD, MOEF&CC)**

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (आर.औ.एच.क्यू), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।(ramesh.pandey@nic.in)।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, C-18, वन भवन, सै०-06, पंचकुला, हरियाणा (pccf-hry@nic.in)।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल ऑफिसर, हरियाणा, C-18, वन भवन, सै०-06, पंचकुला, हरियाणा (cffcpanchkula@gmail.com)।
4. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Karnal, Haryana. (dfoknl-hry@nic.in)
5. Hindustan Petroleum Corporation Limited, 104, Silverton Towers, Golf Course Extension Road, First Floor, Sector-50, Gurgaon, Haryana- 122011. (ashishverma@hpcl.co.in)



बेज नं.**24-25**, सेक्टर-**31** ए,चंडीगढ़-160030 /**Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**TelNo :**0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email:** ronz.chd-mef@nic.in